भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 279

बुधवार, 21 मार्च, 2018/ 30 फाल्गुन, 1939 (शक)

शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जाना

***279. श्री संजय सिंह:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

****

शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिनांक 21.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 279 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): शहरी क्षेत्रों सहित देश के असंगठित कामगारों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से, सरकार ने निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हुए अधिक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं की फास्ट ट्रेकिंग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाते हुए तथा उन्हें कौशल प्रदान करते हुए उनकी आय अर्जन क्षमता को बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं।

"प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम"(पीएमआरपीवाई) नामक योजना की शुरूआत सरकार ने वर्ष 2016-17 में की है। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जहां सरकार नए कर्मचारियों के लिए किए गए 8.33% ईपीएस राशि के नियोक्ता के अंशदान का भुगतान कर रही है। वस्त्र (परिधान एवं मेडअप्स) क्षेत्र में सरकार 8.33% ईपीएस अंशदान का भगतान करने के अतिरिक्त नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भुगतान भी कर रही है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन में सहायता करती है बल्कि अनौपचारिक रोजगार को औपचारिक बनाने में भी मदद करती है।

रोजगार तलाशने वालों को और अधिक अवसर दिलाने तथा उन कामगारों के पास उपलब्ध कौशल क्षमताओं से मेल खाता रोजगार दिलाने के लिए सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना (एनसीएसपी) का क्रियान्वयन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कर रही है।

शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है।

सरकार श्रम सघन विनिर्माण कार्यों और पर्यटन तथा कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन दे रही है। इसके अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया योजना भी सरकार द्वारा इसी प्रयोजन से क्रियान्वित की जा रही है।

सरकार द्वारा मुद्रा और स्टार्ट-अप्स योजनाओं की शुरूआत स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, सेवाओं तथा स्वरोजगार के संवर्धन के लिए कृषि सहबद्ध गतिविधियों हेतु 10 लाख तक का ऋण प्रदान करते हुए बैंकों, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा माइक्रो फाइनैंस इंस्टीट्यूशन्स (एमएफआई) द्वारा लघु/सूक्ष्म व्यापार उपक्रमों को ऋण दिए गए हैं।

****